भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 497**

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

**बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां**

**497. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** बिहार में वर्तमान में कुल कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं;

**(ख)** बिहार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

**(ग)** विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार में खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

**(घ)** बिहार में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना से अनुमानित रूप से कितने रोजगार का सृजन हुआ है; और

**(ङ)** राज्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार को खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की विभिन्न योजनाओं के तहत समर्थित बिहार में परिचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | योजना का नाम | परिचालित इकाइयों की संख्या (31.10.2024 तक) |
|---|---|---|
| 1. | प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) | 4 |
| 2. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) | 7 |
| 3. | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) | 8419 |

**(ख):** बिहार सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) तीन योजनाओं को लागू कर रहा है, अर्थात, केंद्रीय क्षेत्र पीएमकेएसवाई योजना, पीएलआईएसएफ़पीआई योजना और केंद्र प्रायोजित पीएमएफ़एमई योजना। सभी योजनाओं को मांग आधारित आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत फार्म गेट से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के सृजन के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है, जिससे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है। 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल परिव्यय 5520 करोड़ रुपये है। पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

**(ग):** पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत बिहार के समस्तीपुर और नालंदा जिलों में स्थित दो इन्क्यूबेशन केंद्रों को 4.80 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ मंजूरी दी गई है ।

**(घ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों/परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 128678 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

**(ङ):** उपरोक्त **(ख)** के समान।

*****